

आज से करें ऑनलाइन आवेदन

पटना : जाति प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र व आवासीय प्रमाणपत्र के लिए अब प्रखंड और अंचल कार्यालयों के काउंटरों पर घंटों इंतजार नहीं करना पड़ेगा. सरकार लोक सेवा का अधिकार कानून के तहत ऑनलाइन आवेदन की सुविधा गुरुवार से शुरू कर रही है.

आवेदन ही नहीं , बल्कि इन कार्यालयों से जारी प्रमाणपत्रों की जांच के लिए लोगों को बाबुओं के सामने चिरौरी करने की जरूरत नहीं होगी, इसके लिए ऑनलाइन वेरिफिकेशन की सुविधा जल्द शुरू होगी.

नयी सेवाएं भी जुड़ेंगी

अगले 26 जनवरी से कुछ और नयी सेवाओं को शामिल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है. यह कहना है बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन के निदेशक व सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव दीपक कुमार का. बुधवार को वे संवाद भवन में संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे.

कैसे करें आवेदन

मिशन के निदेशक श्री कुमार ने पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन से पूरी प्रक्रिया की जानकारी दी. जाति प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र व आवासीय प्रमाणपत्र के लिए आवेदक को साइबर कैफे या पंचायत स्तर पर खुले वसुधा केंद्र में जाकर सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाइट पर जाकर राइट टू पब्लिक सर्विस को सेलेक्ट कर उसे क्लिक करना होगा.

स्क्रीन पर प्रदर्शित महत्वपूर्ण सूचना पढ़ कर 'आइ एग्नी' / 'मैं सहमत हूँ' बटन पर क्लिक करने पर जो फॉर्म स्क्रीन पर आता है, उसे भरें. इसके पूर्व मोबाइल नंबर डालना अनिवार्य है. मोबाइल नंबर पर चार अंकों का एक कोड मैसेज आयेगा.

उस कोड नंबर को फॉर्मेट में दर्ज कर वेरीफाइ बटन पर क्लिक करें. सेवा का प्रपत्र कंप्यूटर स्क्रीन पर आयेगा, उसमें सही सूचनाएं दर्ज कर आइ एग्नी पर टिक लगाएं, इसके बाद सम्मिट बटन पर क्लिक करें.

इसके बाद कंप्यूटर स्क्रीन पर 18 नंबर का कोड सहित पावती प्रकाशित होगी, जिसे प्रिंट कर अपने पास रखें. इस नंबर से आवेदन की स्थिति का पता चलेगा. प्रमाणपत्र की सूचना एसएमएस या वेबसाइट पर मिलेगी.

जिस व प्रमाण पत्र लेने जायेंगे उस व चुनाव आयोग द्वारा घोषित दस्तावेजों में से किसी एक को ले जाना होगा. इसके बाद ही प्रमाणपत्र मिल सकता है. प्रमाणपत्र लेने जाने व आवेदक को काउंटर पर शपथ प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करना होगा.



